न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
उपस्थितः श्री अशोक कुमार दुबे–प्रथम (एच0 जे0 एस0),
जे0 ओ0 कोड–UP 6081

सत्र परीक्षण संख्या–185 / 2014
कम्प्यूटर पंजीयन नं0–2400185 / 2014
CNR-UPLP-0100 3260 2014

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजक।**

बनाम

बबलू उम्र 37 वर्ष पुत्र जमुना प्रसाद निवासी कापाटांडा, थाना मैलानी, जिला लखीमपुर–खीरी।
..................**अभियुक्त।**

मु0अ0सं0–21 / 2014
अं0 धारा–376, 506 भा0दं0सं0,
थाना–मैलानी, जिला–लखीमपुर खीरी।

अभियोजन की ओर से–श्री रमा रमन सैनी,
विद्वान बचाव पक्ष अधिवक्ता–श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, एडवोकेट,
घटना की तिथि–01.01.2014, समय 4:00 बजे शाम,
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत दिनांक–08.01.2014, समय 08:30 बजे पी.एम.,
संज्ञान लिये जाने की तिथि–13.02.2014,
सत्र सुपुर्द की तिथि–22.02.2014
आरोप विरचित किये जाने की तिथि–24.02.2015
अभियोजन साक्ष्य की तिथि–दिनांक 07.04.2016 से 16.04.2026 तक,
साक्षीगण के नाम– **पी0डब्लू0–1 अनिल कुमार,**
पी0डब्लू0–2 डा0 श्रीमती पुष्पलता,
पी0डब्लू0–3 डा0 वी0के0 वर्मा,
पी0डब्लू0–4 पीड़िता,
पी0डब्लू0–5 निरीक्षक जटाशंकर सिंह,
पी0डब्लू0–6 रिटायर्ड इंस्पेक्टर, सुरेश पाण्डेय।
बयान अभियुक्त अंकित किये जाने की तिथि–23.05.2026,
बहस की तिथि–13.07.2026
निर्णय की तिथि–18.07.2026

'निर्णय'

1– अभियुक्त **बबलू** का विचारण मु0अ0सं0–21 / 2014, थाना– मैलानी, जिला– लखीमपुर–खीरी, अं0 धारा–376, 506 भा0दं0सं0 के बाबत इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2– भा०दं०सं० की **धारा–228ए** में दिये गये आज्ञापक प्रावधान एवं तत्क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय व मा०उच्च न्यायालयों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्णय में बलात्कार पीड़िता का नाम उल्लेख नहीं किया जा रहा है। बलात्कार पीड़िता को मात्र पीड़िता शब्द से उल्लिखित किया जायेगा।

घटना का विवरणः–

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक के तथ्य इस प्रकार हैं कि **वादी मुकदमा अनिल कुमार पुत्र गंगा राम** निवासी कापटांडा, थाना मैलानी, जिला लखीमपुर–खीरी ने दिनांक–08.01.2014 को थाना–मैलानी, जिला– लखीमपुर खीरी, पर लिखित तहरीर **(प्रदर्श क–1)** इस आशय की प्रस्तुत की थी कि–

''प्रार्थी की बहन/पीड़िता उम्र 16 वर्ष दिनांक 01.01.2014 के सांय 4 बजे गांव के खेत में शौच के लिये गयी थी, पीछे से गांव का लड़का बबलू पुत्र जमुना प्रसाद आ गया, मेरी बहन को पकड़कर मुंह में मौफलर ठूस दिया। बहन के जब हाथापाई करने पर उसका कपड़ा भी फट गया और चिल्लाई, जिसे सुनकर प्रार्थी और उसके छोटे दोनों भाई मौके पर पहुंचे, जिससे वह छोड़ाकर भागा और भागते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायत करने पर घर वाले भी लड़ाई–झगड़ा किये। अतः मेरी बहन के साथ इन्साफ किया जाय तथा इरादतन बलात्कार के खिलाफ कार्यवाही किया जाय'

प्रकरण की विवेचनाः–

4– उपरोक्त **तहरीर (प्रदर्श क–2)** के आधार पर थाना–मैलानी, जिला–लखीमपुर–खीरी पर **अभियुक्त बबलू के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–21/2014, अन्तर्गत धारा–376, 506 भा0दं0सं0** पंजीकृत किया गया, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–6**, जिसका खुलासा कायमी जी.डी. **प्रदर्श क–7** पर उसी समय व दिनांक पर किया गया तथा मामले की विवेचना विवेचक के सुपुर्द की गयी, जिसने वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी **प्रदर्श क–8** व साक्षीगण के बयानात अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 ालिखित किये, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं0प्र0सं0 कराया गया तथा अन्य विवेचना सम्बन्धित औपचारिकता पूर्ण करने के उपरान्त् अभियुक्त बबलू के विरूद्ध **आरोप पत्र प्रदर्श क–9**, अन्तर्गत धारा–376, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया।

प्रसंज्ञानः–

5– तत्कालीन प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ने दिनांक 13.02.2014 को प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया तथा अभियुक्त को आहूत करने के पश्चात् अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

सत्र सुपुर्दगीः–

6– तत्पश्चात् तत्कालीन प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांकित 22.02.2014 को अभियुक्त बबलू के विरूद्व मुकदमा अपराध सं0–21/2014 में प्रेषित आरोप पत्र का अभियोग अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया, जिसे सत्र परीक्षण सं0–185/2014 पर दर्ज किया गया।

आरोप की धारायें:–

7– तत्कालीन न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, लखीमपुर खीरी ने दिनांक 24.02.2015 को अभियुक्त बबलू के विरूद्व आरोप अन्तर्गत धारा–376 व 506 भा0दं0सं0, का विरचित किया, अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्यः–

8– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

कम सं0	प्रदर्श संख्या	प्रपत्र का नाम	साबितकर्ता
1.	**प्रदर्श क–1**	तहरीर	**पी0डब्लू0–1**
2.	**प्रदर्श क–2**	एक्स–रे रिपोर्ट	**पी0डब्लू0–2**
3.	**प्रदर्श क–3**	पैथोलॉजी रिपोर्ट	**पी0डब्लू0–2**
4.	**प्रदर्श क–4**	एक्स–रे रिपोर्ट	**पी0डब्लू0–3**
5.	**वस्तु प्रदर्श 1**	एक्स–रे प्लेट	**पी0डब्लू0–3**
6.	**प्रदर्श क–5**	बयान पीड़िता 164 दं0प्र0सं0	**पी0डब्लू0–4**
7.	**प्रदर्श क–6**	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	**पी0डब्लू0–5**
8.	**प्रदर्श क–7**	कायमी जी0डी0	**पी0डब्लू0–5**
9.	**प्रदर्श क–8**	नक्शा नजरी	**पी0डब्लू0–6**

10.	**प्रदर्श क–9**	आरोप–पत्र	**पी0डब्लू0–6**

अभियोजन के मौखिक साक्ष्यः–

9– अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है–

पी0डब्लू0–1 अनिल कुमार,
पी0डब्लू0–2 डा0 श्रीमती पुष्पलता,
पी0डब्लू0–3 डा0 वी0के0 वर्मा,
पी0डब्लू0–4 पीड़िता,
पी0डब्लू0–5 निरीक्षक जटाशंकर सिंह,
पी0डब्लू0–6 रिटायर्ड इंस्पेक्टर, सुरेश पाण्डेय।

10– साक्षी पी0डब्लू0–1 **अनिल कुमार (वादी मुकदमा)** ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर सशपथ बयान किया कि ''घटना दिनांक 01.01.2014 सांय 4 बजे की है। मेरी बहन पीड़िता उम्र 15 वर्ष जो घटना वाले दिन बगल में बनी खाई में शौच के लिये गयी थी। वहां पर बबलू पुत्र जमुना प्रसाद वहां पर पहले से ही घात लगाये बैठा था और मेरी बहन को पीछे से पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया और सीने पर कट्टा लगाकर गलत काम करने लगा और उसके सारे कपड़े उतार कर मुंह बन्द कर दिया था। मेरी बहन किसी तरह चिल्लाई तो पहले मेरे छोटे–छोटे भाई अखिलेश और आकाश भागकर गये, उसके बाद में भी पीछे से दौड़ कर पहुंचा तो देखा कि बबलू नाई मेरी बहन पर चढ़ा हुआ था और गलत काम कर रहा था। जब अपनी तरफ आते हुए देखा तो भागा, तो मेरे दोनों भाईयों ने उसके पैर पकड़ लिये, तो मुल्जिम जान से मार देने की धमकी देते हुए भाग गया। फिर अपनी बहन को लेकर घर गया। दूसरे दिन मैं और मेरे पिता जी थाने गये थे। बहन को लेकर गया था। थाने के बाहर एक व्यक्ति से दरख्वास्त बोल–बोल कर लिखायी थी। लिखने वाले ने मुझे पढ़कर सुनाया था, तब मैंने उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे, जिसे थाने पर देकर मुकदमा लिखा गया था। **कागज सं0–क 5** साक्षी को दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी ने कहा कि यही **इबारत** मैंने लिखाई थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। दरोगा जी ने मेरी बहन का चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल, लखीमपुर खीरी में कराया था। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ कर निरीक्षण घटना स्थल किया था।''

11– बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से **प्रति परीक्षा** की गयी, तो इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ''मैं हाईस्कूल तक पढ़ा हूँ। मैंने 2011 में हाईस्कूल पास कर लिया था। उसके बाद से मैं स्कूल नहीं गया। मैंने हाईस्कूल गाजीपुर, बलिया से किया था। मेरे गांव टांडा में मेरी बहन उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गयी थी, जहां उसका नाम लिखाया गया था। सिफफ दो–तीन दिन स्कूल गयी थी। मेरी बहन किस सन में स्कूल गयी थी, मुझे याद नहीं है। मैं तीन भाई, दो बहन हूँ। मुझसे मेरी बहन पीड़िता 3 साल छोटी है। मेरे मुताबिक घ टना 01.01.2014 को सांय 4 बजे हुई थी। 4 बजे दिन होता है। जब घटना हुई है, तब मेरे माता–पिता घर पर मौजूद नहीं थे। मेरे माता–पिता गांव में ही थे। 15–20 मिनट बाद घर पर आ गये थे। हम लोग लक्ष्मी बहन को लेकर आये, फिर मैं और मेरी मां बबलू के घर पर गये, बहन को लेकर हम लोग नहीं गये थे। थाने पर मैंने दूसरे दिन रिपोर्ट बाहरी व्यक्ति से लिखाकर ले गये थे, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। फिर दूसरे दिन थाने गया, तब भी रिपोर्ट नहीं लिखाी गयी। मुझसे रिपोर्ट ले ली गयी थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। पांचवे दिन मेरी बहन को बुलाया और जिसे लेकर मैं थाने पर गया था, लेकिन मेरी बहन लक्ष्मी की डाक्टरी नहीं हुई थी। फिर हम लोग 6 तारीख को लखीमपुर आये। एस0पी0 साहब से मिले। ए0एस0पी0 से मिलने गये, लेकिन नहीं मिले। फिर रात में हम लोग लखीमपुर में ही रूके। फिर एस0पी0 साहब से मिले और धरना चालाया। उसके दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज हुई, तब अभियुक्त बबलू को पकड़ा। किस दिन मेरी बहन लक्ष्मी की डाक्टरी हुई, तारीख मुझे याद नहीं है। अखबार में तारीख लिखी है, मैं देखकर बता दूंगा। मैंने थाने पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। दरोगा जी ने मेरी बहन का बयान लिया था। मेरा बयान नहीं लिया था। मुझे दरोगा जी मेरे घर मेरे भाईयों के बयान लेने कब आये, मुझे याद नहीं है। किस दिन, तारीख व सन्

को दरोगा जी घटनास्थल का नक्शा बनाने गये थे, मुझे याद नहीं है। मुझे पता नहीं है कि मेरे पिता जी ने थाने पर कोई प्रार्थना पत्र दिया था, या नहीं। थाने के बाहर दुकान थी, उससे मैंने प्रार्थना पत्र लिखाया था। उसका मुझे नाम मालूम नहीं है और न मैंने उसका नाम पूछा था। मैंने प्रार्थना पत्र शाम 4 बजे लिखवाया था, फिर कहा सुबह 8 बजे लिखवाया था। मुझे ध्यान नहीं, पहले जो बयान दिया था, उसमें क्या उम्र लिखायी थी। प्रदर्श क–1 मेरे हाथ का लिखा पहले से लिखा है। मैं सही बोल रहा हूँ। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अलावा अगर मेरे पिता ने कोई प्रार्थना पत्र थाने पर दिया हो, तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं सिर्फ थाने एक बार गया था, जो कि 2 ता0 में गया था। मेरे द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में अगर तारीख 8 लिखी है, तो वह गलत लिखी है। मेरे द्वारा दिनांक 08.01.2014 को कोई भी प्रार्थना पत्र थाने पर नहीं दिया गया है। अगर वह प्रार्थनापत्र है, तो वह फर्जी है। मेरे द्वारा नहीं दिया गया। इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि मैं बहन और भाइयों की जन्म में कितने–कितने साल का अन्तर है। मुझे यह पता नहीं है कि मैं अपनी बहन से कितने साल बड़ा हूँ या कितने साल छोटा हूँ। मेरा बयान दरोगा जी ने लिया था, मुझे ध्यान नहीं है। यह बात गलत है कि मेरी बहन ने जो बयान 161 सी0आर0पी0सी0 दिया है कि घर पर घटना के समय मेरे पिता जी, माता जी व मेरे भाई अनिल घर पर नहीं थे, लेकिन मेरी बहन ने यह बात अगर कही है कि मैं घर पर नहीं था, यह बात गलत है। केवल माता–पिता घर पर नहीं थे। दरोगा जी ने मेरे बयान में अगर यह बात लिखी है कि मैं घर पर मौजूद नहीं था। मेरे भाई आकाश व अखिलेश घर पर थे। मैं घर पर था। मेरे तीनों भाई घर थै। यह बात अगर दरोगा जी ने नहीं लिखी है, तो गलत लिखी है। मेरी बहन लक्ष्मी ने मुझे व मेरे माता–पिता के आने पर घटना की सारी जानकारी दी थी। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे दोनों भाईयों के बयान दरोगा जी ने घटना के कितने दिन बाद लिये थे। मेरा भाई आकाश मेरे से 8 साल छोटा है। अखिलेश 10 साल छोटा है, इस समय आज के दिन। मेरी बहन लक्ष्मी जब घर से लैट्रिन गयी थी, तब प्लास्टिक का डिब्बा लेकर गयी थी। मुझे ध्यान नहीं, डिब्बा वापस घर लायी थी, या नहीं लायी थी। मेरी बहन के सिर, पीठ, कानों, घुटनों व कपड़ो में मिट्टी लगी थी। यह बात मैंने एफ0आई0आर0 में नहीं लिखायी थी, क्योंकि जानाकारी तब मुझे नहीं थी। कपड़ों में उसके पानी लगा था। खून नहीं लगा था। मेरी बहन ने मुझे अपनी चोटों के बारे में नहीं बताया था। मैंने बबलू को पकड़ने के लिये 4000/–रूपया दिया था। सिपाहियों को दिया था। घटनास्थल मेरे मकान से 200 मीटर की दूरी पर है। मेरे मकान के पास रघुनंदन का घर है। मेरे घर के पूरब में रघुनंदन का घर है। पश्चिम में कोई घर नहीं है। उस तरफ खाली है। मेरे घर के पीछे खड़न्जा है। इसी खड़न्जे से आते–जाते हैं। हरीराम व हेमराज का मकान कहां पर हैं, मैं नहीं जानता हूँ, फिर कहा मैं जानता हूँ। मैं मकान को खेत समझा था। घटना के बाद जब मेरी बहन मिली थी, तब कौन पकड़ा था, मुझे दिखायी नहीं पड़ रहा था। मेरे भाई अखिलेश व राकेश ने यह बता कही है। जब मेरी बहन चिल्लायी थी, तब हम लोग दौड़कर पहुंचे थे। यह बात मेरे भाईयों से सही कही है कि ''मेरी बहन ने घर पर आकर माता जी, पिता जी व भाई साहब से घटना के बारे में बताया।'' यह बात मेरे भाईयों ने सही कही है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मेरी बहन के फटे हुए कपड़े मैंनें व मेरी माता–पिता न थाने पर ले जाकर दिये थे, या नहीं। मैं यह बात नहीं बता सकता हूँ। थाने पर मैंनें जो एफ0आई0आर0 लिखायी थी, वह सही लिखायी थी। यह कहना गलत है कि मेरी माता ने सीताराम से कोई बैनामा न कराया हो, बल्कि सीताराम ने बबलू की मां को बैनामा कर दिया हो। इसलिये हम लोगों ने बबलू को एफ0आई0आर0 में गलत नामजद किया हो। यह भी कहना गलत है कि सीताराम मेरे घर रहते हैं। मेरे यहा ही खाना खाते–पीते हैं। कुछ जमीन का बैनामा सीराम ने मेरी मां के नाम किया है, बाकी जमीन बबलू की मां के नाम बैनामा किया हो, जिससे रंज होकर हम लोगों ने बबलू के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कराया हो। मेरी माता का नाम प्रेमवती है। यह भी कहना गलत है कि मेरी बहन के साथ कोई घटना न घटी हो। यह भी कहना गलत है कि मुझे घटना की सारी जानकारी सही न हो।''

12– साक्षी पी0डब्लू0–2 **डा0श्रीमती पुष्पलता, जिला महिला चिकित्सालय, खीरी** ने सशपथ बयान किया कि ''मैं 10.01.2014 को आपाताकलीन चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात

थी। उस दिन मैंने लक्ष्मी आयु 16 साल पुत्री गंगाराम निवासी कॉप टांडा, जिला लखीमपुर, थाना मैलानी का डाक्टरी परीक्षण सांय को 05 बजे मैंने किया था, जिसको महिला कां0 1325 सीमा सिंह लेकर आयी थी और शिनाख्त किया था। जिस कागज सं0–क 10 मेडिकल रिपोर्ट पर लक्ष्मी के दाहिने हाथ का अंगूठा तथा उसकी प्रेमवती का दाहिने हाथ का अंगूठा लगा है, जो मेरे द्वारा प्रमाणित है, जिस पर पीड़िता व उसकी मां की सहमति ली गयी है। यह घटना पीड़िता के साथ दिनांक 01.01.2014 को सांय को घटित होना बताया था। पीड़िता ने बताया कि उसकी माहवारी यूस अमावस के 5 दिन पहले हुआ था। पीड़िता शादीशुदा नहीं थी। यह भी बताया था तथा वर्तमान में उस समय उसको कोई तकलीफ नहीं थी। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि मुझे जबरदस्ती खेत में ले गया था और मेरे साथ गलत काम किया। सीने पर कट्टा रख दिया और कहा कि तुम किसी से बताना नहीं, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे। वाह्य परीक्षण में पीड़िता पूरे होशोहबास में थी। उसका बी0पी0 110/70, ऊंचाई 143 सेमी0, वजन 42 केजी0। बगल तथ जननांगों पर काले बाल मौजूद थे तथा स्तन विकसित थे। वह अपने कपड़े बदल चुकी थी तथा बाहरी अंगों पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं थी। आंतरिक परीक्षण में जननांगों पर कोई भी चोट तथा लालिमा नहीं थी। सभी अंग नार्मल थे, हाइमन पुराना फटा हुआ भरा हुआ था। कोई भी रक्त स्राव नहीं था, जिसकी योनि स्राव स्लाइड तैयार कर शुक्राणु जांच के लिये भेजी थी तथा दाहिने घुटने, दाहिनी कलाई, दाहिनी कोहनी के एक्स–रे के लिये भेजा गया था, जिसकी पूरक रिपोर्ट कागज सं0–क 10 से क 15 तक बनाई गयी, रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दिनांक 15.01.14 को शुक्राणु रिपोर्ट तथा एक्स–रे रिपोर्ट आने के बाद तैयार की गयी पूरक रिपोर्ट दिनांक 15.01.2014 को तैयार किया गया, जिसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट में कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाये गये तथा एक्स–रे रिपोर्ट में सभी जोड़ अपनी सम्बन्धित हड्डियों से जुड़े पाये गये थे। मेरी राय में पीड़िता की उम्र लगभग 18 साल नहीं, जिसकी बलात्कार के बारे में निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। **एक्स–रे रिपोर्ट** तथा **पैथोलॉजी रिपोर्ट** साथ में संलग्न है, जिस पर **प्रदर्श क–2** व **प्रदर्श क–3** डाला गया है।

13– बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से **प्रति परीक्षा** की गयी, तो इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ''यह कहना सही है कि मेरी राय में पीड़िता की रेडियोलॉजिक आयु 18 वर्ष रही थी। यह भी कहना सही है कि पीड़िता के साथ बलात्कार के बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती थी। बरवक्त मुआयना पीड़िता के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के कोई निशान मौजूद नहीं थे। चूंकि घटना को काफी समय हो गया था, इसलिये पीड़िता के कपड़ों को किसी जांच हेतु नहीं भेजा था। पीड़िता के डी0एन0ए0 सैम्पलिंग हेतु कोई चीज नहीं लिया गया था, क्योंकि उस समय हमारे पास प्राइवेट पार्ट्स पर भी कोई चोट के निशान नहीं पाये गये थे। बरवक्त मुआयना पीड़िता के अन्दरूनी जाल (बगल व प्यूविक हेयर) काले रंग के थे और मौजूद थे।''

14– साक्षी पी0डब्लू0–3 **डा0 वी0के0 वर्मा वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिक्तिसालय, खीरी** ने सशपथ बयान किया कि ''दिनांक 11.01.2014 को मैं उपरोक्त पद व स्थान पर तैनात था। उस दिन कु0 लक्ष्मी पुत्र गंगाराम निवासी कॉप टांडा, थाना मैलानी, जिला खीरी की दाहिनी कलाई, दाहिना घुटना और दाहिनी कोहनी के जोड़ों के एक्स–रे मैंने अपनी देखरेख में प्लेट संख्या 78 पर करवाये थे, जिसे एम.ई.पी. 1325 कु0 सीमा सिंह थाना मैलानी, जिला खीरी लेकर आयी थी व पहचान की थी तथा जिसे ई0एम0ओ0 जिला महिला चिकित्सालय, खीरी ने एक्स–रे हेतु सन्दर्भित किया था। एक्स–रे प्लेट के अनुसार दाहिनी कलाई, दायां घुटना व दायां कोहनी के जोड़ों के एफी फारगिस सम्बन्धित हड्डियों से जुड़ी पायी गयी। **एक्स–रे रिपोर्ट** शामिल पत्रावली कागज सं0–क 7 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर पीड़िता का फोटो व निशानी अंगूठा लगा है, जो मेरे द्वारा प्रमाणित है। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। **एक्स–रे प्लेट** भी शामिल पत्रावली है, इस पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया।''

15– बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी, तो इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ''एक्स–रे मैंने स्वयं नहीं किया था। एक्स–रे टैक्नीशियन से अपनी

देखरेख में करवाया था। एक्स–रे के समय पीड़िता की रेडियोलॉजिकल उम्र 18 साल से ऊपर थी।''

16– साक्षी पी0डब्लू0–4 **पीड़िता** ने सशपथ बयान किया कि–''घटना दिनांक 01.01.2014 की है। उस समय मेरी उम्र करीब 20 साल थी। मैं गन्ने के खेत में शौच करने नहीं गयी थी और न ही मेरे पीछे से मेरे गांव का लड़का बबलू मेरे पास आया था, न ही उसकने मेरा हाथ पकड़ा था, न ही मेरे मुंह में मफलर ठूसा था। न ही हमे गिराया था, न ही बबलू ने मेरे साथ बुरा काम (बलात्कार) किया था। न ही ऐसी कोई घटना मैंने अपने घर वालों को बताई थी। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। मेरा चिकित्सीय परीक्षण जिला महिला अस्पताल में कराया गया था। मजिस्ट्रेट साहब के सामने में बयान हुआ। पत्रावली पर मौजूद एक सर्वशील मोहर लिफाफा जिस पर नीली श्याही से बयान अन्तर्गत धारा–164 सी0आर0पी0सी0 पीड़िता पीड़िता पुत्री गंगाराम नि0 कांपटाण्डा, थाना मैलानी, जिला खीरी, Cr–No–21/14, U/s 376,506 IPC & 3/4 लैगिंग अपराधों से बालको का सरंक्षण अधि0, थाना मैलानी जिला खीरी अंकित है। सीले दुरूस्त है। न्यायालय की अनुमति से लिफाफा खोला गया तथा गवाह को दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने देखकर कहा कि इस पर लगा अंगूठा मेरा है, जिसे मजिस्ट्रेट साहब ने बयान दर्ज करने के बाद लगवाया था। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। बयान अं०धारा 164 दं०प्र०सं० सुनकर गवाह ने कहा कि यह बयान मैंने पुलिस वालों के दबाव में दिया था। बबलू ने मेरा घर नहीं घेरा था और न ही मेरे साथ कोई गलत काम किया था। **<u>इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने एवं प्रतिपरीक्षा किये जाने की अनुमति अभियोजन के द्वारा चाही गयी। स्वीकृत।</u>**

17– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी, तो इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ''दरोगाजी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। बयान अन्तर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 गवाह को पढ़कर सुनाया गया सुनकर गवाह ने कहा ऐसा कोई बयान दरोगा जी को मैंने नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया इसकी मैं कोई वजह नहीं बता सकती। यह मुझे मालूम है, न्यायालय में शपथ लेकर झूठी बयान बाजी करना कानूनी अपराध है।''

18– बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी, तो इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ''घटना के समय मैं बालिग थी अपना अच्छा बुरा समझती थी। मेरी उम्र 19 वर्ष थी। मैं अदालत में सोच समझकर के बिना किसी जोर–दबाव लालच व भय के बयान दे रही हूँ जो सही है। मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में बयान जो दरोगाजी कराने के लिए लाये थे, उन्होंने ने मुझको बयान देने से पहले डराया था और कहा था कि जो बयान में बताता हूँ, वहीं मजिस्ट्रेट साहब के सामने देना नहीं तो तुम्हारे पिता को दूसरे केस में बंद करके जेल भेज दंगा, मैंने डर व पुलिस के दबाव के कारण अदालत में मजिस्ट्रेट साहब के सामने गलत बयान दे दिया था।''

19– न्यायालय द्वारा इस साक्षी से **प्रति परीक्षा** की गयी, तो इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ''मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं गिनती नहीं जानती हूँ। मैं नहीं बता सकती कि 14 बड़ा कि 15। आज कितनी तारीख है, मुझे नहीं पता। मैं अभी 20 साल की हूँ। घटना के समय मैं छोटी थी। बड़ी नहीं हुई थी। जब मेरे साथ जो हुआ था, तब मुझे यह नहीं पता था कि यह सही काम था या बुरा काम था। मैं बुरा काम नहीं जानती हूँ। जो हुआ था मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। मैं चाहती हूँ बबलू छूट जाए। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। आपने जो पूछा, मैंनें सोच समझकर सही–सही जवाब दिया है।''

20– पी0 डब्लू0–5 जटाशंकर सिंह हाल तैनाती जनपद भदोही संबंधता डी0 आई 0 जी0 कार्यालय मिर्जापुर ने जनपद न्यायालय मिर्जापुर के वी0 सी0 रूम में आकर जरिए वी0 सी0 सशपथ बयान किया कि मैं दिनांक 08.01.2014 को थाना मैलानी पर बतौर चौकी प्रभारी कुकरा थाना मैलानी पर तैनात था। उस दिन मैंने मु0 अ 0 सं0 21/2014 की विवेचना ग्रहण कर नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर उसका उद्धरण केस डायरी पर किया था तथा उसी दिन एफ 0 आई 0 आर 0 लेखक कॉ0 सुरेश कुमार सिंह का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था। दिनांक 09.01.2014 को अभियुक्त बबलू श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी प्रपत्र का

अवलोकन कर केस डायरी पर उसका उद्धरण किया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 क 5 जिसका उद्धरण केस डायरी पर मैंने किया था जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त बबलू श्रीवास्तव का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था। दिनांक 10.01.2014 को मुकदमावादी अनिल कुमार पुत्र गंगाराम तथा चश्मदीद आकाश पुत्र गंगाराम, अखिलेश पुत्र गंगाराम का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था तथा बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त को 354/506 IPC व धारा–8/9 बालको का संरक्षण अधि0 में तरमीम धारा 354 IPC को धारा 376 IPC में व धारा–8/9 बालको का संरक्षण अधि0 को तरमीम धारा % लैंगिक अपराधों व बालकों का संरक्षण अधिनियम में किया गया था। जिसका अंकन मैंने थाना मैलानी के रोजनामचा आम पर रपट सं0–14 समय 07:30 बजे दिनांक 10.01.2014 को ही किया गया था। जोकि शामिल पत्रावली है, मेरे समक्ष है। जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।"

21– **प्रति परीक्षा में** साक्षी ने कथन किया है कि "पीड़िता की तलाश करने पर मुकदमा वादी अनिल कुमार ने बताया था कि वह अपनी माँ के साथ लखीमपुर गयी थी। मैंने पीड़िता का बयान अपनी विवेचना के दौरान नहीं लिया था। मुकदमा मैंने तरमीम वादी व चश्मदीदों के बयानों के आधार पर कर दिया था। बयान चश्मदीदो के मैंने दिनांक 10.01.2014 को उनके घर जाकर लिये थे। द्वारा न्यायालय भदोही में मैं दो साल से तैनात हूँ। यह मामला पॉक्सो का है। पीड़िता घटना के समय के नाबालिक होने के संबंध में मैंने जाँच नहीं करवाई थी। चश्मदीद साक्षीगण का बयान लिया था उससे मैं निष्कर्ष पर पहुँच गया कि धारा 376 IPC व पॉक्सो एक्ट का अपराध हुआ है। यदि पश्चातवर्ती विवेचक ने पॉक्सो एक्ट का अपराध होना नहीं पाया उससे यह साबित होता है कि मेरा निष्कर्ष गलत था क्योंकि पीड़िता नहीं मिली थी। यह कहना गलत है कि मैंने थाने पर बैठकर अपनी मर्जी से विवेचना कर ली हो और गलत तरीके से बयान अंकित किये हों।"

22– पी0 डब्लू0–6 **रिटार्यड इंस्पेक्टर सुरेश पाण्डेय,** हाल पता मकान नं0–422 सेक्टर 10 सी0, वृंदावन कालोनी, तेलीबाग, जिला–लखनऊ ने सशपथ बयान किया कि "दिनांक 11.01.2014 को मैं थाना–मैलानी में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। थाने पर दर्ज मुकदमा अ0सं0–21/14 की विवेचना पूर्व विवेचक एस0आई0 जटाशंकर सिंह द्वारा की जा रही थी। अभियोग में धारा 376 IPC तथा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बढने पर विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी। पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चों का अवलोकन करते हुये पर्चा नं0–4 दिनांक 11.1.14 में दर्ज किया गया। तत्पश्चात वादी मुकदमा व पीडिता के संबंध में जानकारी की गयी। ज्ञात हुआ कि लखीमपुर में है। दिनांक 14.01.14 को पर्चा नं0–5 किता किया गया जिसमे पीडिता के बयान 164 दं0प्र0सं0 दर्ज कराने के संबंध में उसके गांव कांपतांडा आया, जहां घर पर कोई मौजूद नहीं मिला। बयान के संबंध में सूचना देकर वापस थाने आकर बबलू को गिरफ्तार करने वाले सिपाही देवेन्द्र पाण्डेय, कांन्जूहेब अहमद व का0 रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी के बयान अंकित किये गये। दिनांक 15.01.14 को पर्चा नं0–6 किता किया गया। जिसमें थाना कार्यालय से पीडिता लक्ष्मी देवी की डाक्टरी रिपोर्ट, सप्लीमेंटरी रिपोर्ट, एक्स–रे प्लेट प्राप्त हुयी। जिसका अवलोकन कर दर्ज केस डायरी किया गया। दिनांक 17.01.14 को पर्चा नं0–7 किता किया गया। जिसे पीडिता के गांव पहुंचकर उसके बयान दर्ज कराने हेतु तलाश किया गया। घर पर मौजूद नहीं मिली। पीडिता ने बताया कि मैं अपने पिता के साथ लखीमपुर में मौजूद हूं। यहीं से बयान देने चलूंगी। लखीमपुर पहुंच कर विलोवी मेमोरियल हाल के पास पीडिता अपने पिता के साथ मौजूद मिली, जिसका बयान महिला आरक्षी सीमा सिंह द्वारा लिया गया, जिसका अवलोकन कर दर्ज केस डायरी किया गया। पीडिता के पिता ने बताया है कि पीडिता पढ़ी लिखी नहीं है। उम्र के संबंध में परिवार रजिस्टर की नकल तलब की गयी। सप्लीमेंटरी रिपोर्ट के अनुसार उसकी उम्र अठारह वर्ष आयी। पर्चा नं08 दिनांक 20.01.14 को किता किया गया, जिसमें पीडिता के 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित कराने हेतु न्यायालय में आवेदन दिया गया। दिनाक 20.01.14 को पर्चा नं0– 8ए किता किया गया, जिसमें पीडिता के बयान न्यायालय में दर्ज कराये गये तथा बयान

का अवलोकन किया गया। दिनांक 27. 01 14 को पर्चा नं0–9 किता किया गया, जिसमे वादी मुकदमा के घर पर वादी मुकदमा व पीडिता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, जो शामिल पत्रावली है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क 8 अंकित किया गया तथा बयान बहोरन लाल, रघुनन्दन अंकित किये गये। दिनांक 02. 02. 14 को पर्चा नं0– 10 किता किया गया, जिसमे ब्लाक विजुआ आकर पीडिता लक्ष्मी देवी के परिवार रजिस्टर की छायाप्रति के लिये सेक्रेटरी ओमप्रकाश से संपर्क किया गया। रजिस्टर का अवलोकन कर छायाप्रति प्राप्त कर दर्ज केस डायरी किया गया तथा बयान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विजुआ ओमप्रकाश अंकित किया गया। थाना हाजा पर आकर अब तक की तमामी विवेचना से पीडिता की उम्र अठारह वर्ष या इससे ऊपर प्रमाणित है, बालिग है। नाबालिग की पुष्टि नहीं हो पायी। जिस पर रपट नं0 23 समय 21:40, दिनांक 02.02.14 मु0 अ 0 सं0–21/14 से 3/4 पाक्सो अधिनियम का विलोप किया गया। अग्रिम विवचना 376, 506 IPC में की जायेगी। दिनांक 03.02.14 को ग्राम कांपतांणा आकर के वहां पर अहिबरन, राजेन्द्र, दिनेश, विनीत व विनीत की मां मीना देवी के द्वारा पीडिता के घर को घेरने की घटना के संबंध में लोगों से पूंछताछ की गयी। तामामी विवेचना के आधार पर अभियुक्त बबलू पिता जमुनाप्रसाद निवासी कांपतांणा, थाना–मैलानी के विरूद्ध धारा–376, 506IPC के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–74/14 न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप पत्र शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस प्रदर्श क 9 अंकित किया गया।

23– **प्रति परीक्षा में** साक्षी ने कथन किया है कि–"रपट सं0–33 पर समय 20:30 बजे पर उपरोक्त मुकदमा कायम हुआ था। उसके बाद में विवेचक घटनास्थल के लिये कब रवाना हुआ, इसका कोई तस्करा सी0 डी0 में नहीं है। सी0 डी0 में रवानगी का कोई तस्करा नहीं है। मैंने गवाहों का बयान किस तिथि पर, कब और कहां लिया, मैं बता सकता हूं। पर्चा नं0–4 दिनांक 11.01.14 को किता किया गया। यह सही लिखा है कि मैं थाने से रवानगी करके घटनास्थल कांपतांडा गया था वहां पर पीडिता कु0 लक्ष्मी देवी गांव में नहीं मिली थी, पता चला था कि वह लखीमपुर गयी थी। पर्चा नं0–4 में जो दिनाक 11.01.14 को किता गया, उसमें न तो तारीख है और न सी0 ओ 0 के हस्ताक्षर है, केवल लिखा है पेशी में। यह सही है कि दिनांक 11.01.14 में ओवरराइटिंग है। मैंने किसी भी फैक्ट के गवाह का बयान नहीं लिया, मैं फैक्ट का अर्थ जानता हूं। पर्चा नं0–6 में लक्ष्मी देवी का बयान किता नहीं किया और सी0 ओ 0 के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं है। पर्चा नं 0–7 में जो दिनांक 17.01.14 किता किया गया, उसमें उम्र अठारह वर्ष है। पर्चा नं 08 जो दिनाक 20.01.14 को किता गया, इसमें भी सी0 ओ 0 के हस्ताक्षर के नीचे दिनाक नहीं अंकित है। पर्चा नं09 में केवल 164 दं0 प्र 0 सं0 का बयान पीडिता का लिखा है जिसमे भी सी0 ओ 0 के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक नहीं अंकित है। इसमें पीडिता ने बयानों में चार हजार रूपया पुलिस वालों को देने की बात बतायी है। थाने से घटनास्थल पर रवानगी का नम्बर नहीं बता पाऊंगा। घटनास्थल से थाने आने की जी0 डी0 में मेरी आमद कब और किस समय हुई नहीं मालूम। मैं थाने से घटनास्थल तक जीप से गया था और घटनास्थल से वापस थाने भी जीप से आये थे। जीप सरकारी थी, इसका लाकबुक होता है। लाकबुक एस 0 ओ 0 वेरीफाई करता है और सरकार इसका डीजल व पेट्रोल देती है। थाना से घटनास्थल की दूरी तीस किलोमीटर है। उस दिन मैं कुल साठ किलोमीटर चला था। पर्चा नं0 10 में भी मैंने कोई खास काम नहीं किया है। परिवार रजिस्टर में भी पीडिता के नाबालिग होने की पुष्टि नहीं हुयी। फिर मैंने आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। यह कहना गलत है कि यह विवेचना सारी फर्जी हो और मुख्य परीक्षा झूठी हो। यह कहना गलत है कि में पुलिस का हितबद्ध गवाह हूं, इसलिये झूठी गवाही दे रहा हूं।

24– अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक–21.05.2026 को साक्ष्य समाप्त किये जाने संबंधी इंद्राज आदेश पत्र के हाशिये पर अंकित किया गया।

अभियुक्त के कथन अं0 धारा–313 दं0 प्र 0 सं०ः–

25– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त दिनांक–23.05.2026 को अभियुक्त उपरोक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किया गया, जिसमें निम्न प्रश्न किये गये और अभियुक्त ने निम्न उत्तर दियेः–**प्र 0 सं01–**अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक–01.01.14 को समय चार बजे शाम स्थान–खेत, बहद ग्राम–कापाटांडा, अं0 थाना–मैलान, जिला–लखीमपुर खीरी में आपने वादी मुकदमा अनिल की बहन उम्र लगभग 16 वर्ष के साथ उसकी मर्जी व सहमति के बिना बलात्संग किया एवं वादी व उसकी बहन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। इस संबंध में आपको क्या कहना है? **उत्तर–गलत है। प्र 0 सं02–**अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **अनिल कुमार** ने पी0 डब्लू0–1 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ बयान करते हुये तहरीर को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना स्वीकार किया है तथा **तहरीर** को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है। आपने साक्षी का बयान सुना, इस संबंध में आपको क्या कहना है? **उत्तर–गलत है। प्र 0 सं03–**अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **डा0 पुष्पलता** ने पी0 डब्लू0–2 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ बयान करते हुये **एक्स–रे रिपोर्ट** को **प्रदर्श क–2** व **पैथालोजी रिपोर्ट** को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है। आपने साक्षी का बयान सुना, इस संबंध में आपको क्या कहना है? **उत्तर–ज्ञात नहीं। प्र 0 सं04–**अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **डा0 वी0 के0 वर्मा** ने पी0 डब्लू0–3 के रूप में बयान करते हुये अन्य **एक्स–रे रिपोर्ट** को **प्रदर्श क–4** के रूप में तथा **एक्स–रे प्लेट** को **वस्तु प्रदर्श–1** के रूप में साबित किया है। साक्षी का आपने बयान सुना, इस संबंध में आपको क्या कहना है? **उत्तर–ज्ञात नहीं। प्र 0 सं05–**अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पीडिता** ने **पी0 डब्लू0–4** के रूप में बयान करते हुये पीड़िता ने **बयान 164 दं0 प्र 0 सं0** पर अपना अंगूठा लगा होना स्वीकार किया है तथा **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है। आपने साक्षी का बयान सुना, इस संबंध में आपको क्या कहना है? **उत्तर–बयान सही दिया है। प्र 0 सं06–**अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **जटाशंकर सिंह** ने पी0 डब्लू0–5 के रूप में बयान करते हुये **चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट** को **प्रदर्श क–6** व **कायमी जी0 डी0** को **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित किया है। साक्षी का आपने बयान सुना, इस संबंध में आपको क्या कहना है? **उत्तर–गलत किया है। प्र 0 सं07–**अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **रि0 इं0 सुरेश पाण्डेय** ने पी0 डब्लू0–6 के रूप में बयान करते हुये नक्शा नजरी को **प्रदर्श क–8** व आरोप पत्र को **प्रदर्श क–9** के रूप में साबित किया है। साक्षी का आपने बयान सुना, इस संबंध में आपको क्या कहना है? **उत्तर–गलत किया है। प्र 0 सं08–**आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला? **उत्तर–रंजिशन। प्र 0 सं09–**क्या आपको सफाई साक्ष्य देना है? **उत्तर–जी हां। प्र 0 सं0 10–** क्या आपको कुछ और कहना है? **उत्तर–जमीन का विवाद था, इसी कारण झूंठा फंसाया गया तथा न्यायालय श्रीमान जी को पीडिता की जिरह के वाद पुनः जिरह का अवसर नहीं मिला। मैं प्रीजिडाइस हुआ।**

सफाई साक्ष्यः–

26– अभियुक्त ने दिनांक 30.06.2026 को सफाई साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू० –1 **प्रेमकली** को परीक्षित कराया है, जिसने **मुख्य परीक्षा में** कथन किया है कि–"दिनांक 08.01.2014 को पीडिता जिसकी उम्र 19 साल के करीब थी, तथा पूर्ण रूप से बालिग थी। मैं उसकी उम्र सही बता रही हूं, क्योंकि मैं उसकी मां हूं। अनिल ने झूठी घटना बनाकर के दुश्मनी के आधार पर बबलू के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी, क्योंकि बब्लू से अनिल ने पचास हजार रूपये उधार लिये थे तथा वापस नहीं कर रहा था। इससे बचने के लिये अनिल ने बब्लू के खिलाफ मोहरा बनाकर गलत रिपोर्ट लिखायी थी और मैं आज न्यायालय के समक्ष बिना किसी जोर दबाव या भय के सही बात बता रही हूं। इसीलिये पुलिस ने मुझे गवाह नहीं बनाया था, क्योंकि मैं किसी को झूठा नहीं फंसाना चाहती थी।"

27– **अभियोजन** द्वारा की गयी **प्रति परीक्षा में** साक्षी ने कथन किया है कि–"मेरी पुत्री का नाम "पीडिता" है। उसका जन्म किस सन में हुआ, मुझे नहीं पता। अनिल ने पचास हजार रूपये किस बात के लिये लिये थे। मुझे नहीं पता। मेरी लडकी की शादी हो गयी है। मुझे नहीं पता कि मेरी लडकी की शादी किस उम्र में की थी। यह कहना गलत है कि आज मैं सिखाये पढाये अनुसार झूठी गवाही दे रही हूं।"

बचाव पक्ष के तर्कः–

28– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन को सहायता नहीं करती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है। पीडिता का बयान अं०धारा–164 दं०प्र०सं० साबित नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियुक्त के खिलाफ लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हो रहे हैं। अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

अभियोजन के तर्कः–

29– विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियोजन साक्ष्यों से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।

30– अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक महोदय को सुना एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

31– न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या अभियुक्त पर, जो अभियोजन की ओर से आरोप लगाये गये हैं, उनको अभियोजन की ओर से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है अथवा नहीं?

32– तहरीर के अनुसार दिनांक 01.01.2014 को समय चार बजे की घटना बतायी गयी है। मौके पर पीडिता के भाई का उपस्थित होना बताया गया है। पी०डब्लू०–1 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम किया है। जबकि गलत काम करने का कोई भी तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है।

33– साक्षी पी०डब्लू०–1 ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैंने अभियुक्त को पकडने के लिये चार हजार रूपये दिया था। थाने पर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाया है, वह सही है। पी०डब्लू०–1 के बयान से स्पष्ट है कि यदि वह थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाया है, तो पी०डब्लू०–1 द्वारा मुख्य परीक्षा में बलात्कार किये जाने की घटना लिखाया जाना स्वतः विरोधाभाषी हो जाता है।

34– पी०डब्लू०–4 पीडिता ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पीडिता की प्रति परीक्षा में आया है कि घटना के समय वह बालिग थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान दिया था, उसने दरोगा जी के डराने–धमकाने से बयान दिया था। मैं बुरा काम नहीं जानती हूं। जो हुआ था वह अपनी मर्जी से नहीं हुआ था, मैं चाहती हूं कि बबलू छूट जाये, अर्थात पीडिता ने अपने साथ घटना होने से इन्कार किया है।

35– चिकित्सक की राय के अनुसार बलात्कार किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया । पीडिता के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया। यह सम्भव नहीं है कि पीडिता के साथ बलात्कार निर्वस्त्र करके किया जाये एवं उसके शरीर पर कोई चोट अथवा खरोंच के निशान न हो। पी०डब्लू०–1 शोर पर जाना कहता है, पी०डब्लू०–1 तथा पी०डब्लू०–4 हितबद्ध साक्षी हैं। घटना की रिपोर्ट आठ दिन बाद पी०डब्लू० –1 ने क्यों लिखायी, इसका कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अभियुक्त बब्लू के विरूद्व लगाये गये आरोप अभियोजन साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है।

36– अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियुक्त **बब्लू** के विरूद्ध धारा–376, 506 भा०द०सं० के तहत लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, तद्नुसार अभियुक्त उपरोक्त उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

37– अभियुक्त **बब्लू** को सत्र वाद सं०–185/2014, मु०अ०सं०–21/2014, थाना–मैलानी, जिला–लखीमपुर खीरी के मामले में आरोपित अपराध अं०धारा–376, 506 भा०द०सं० से दोषमुक्त किया जाता है।

38– अभियुक्त जमानत पर है, उसकी जमानतनामें तथा व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते है एवं जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

39– अभियुक्त धारा–437 दं०प्र०सं० के उपबन्धों के अनुपालन में अंकन 50 हजार रूपये का बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू अन्दर सात दिन दाखिल करें। उक्त जमानतनामें छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

40– निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को एवं एक प्रति जिला विधिक प्राधिकरण को प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांक–18.07.2026 **(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)**
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
लखीमपुर खीरी।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–18.07.2026 **(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)**
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
JO CODE–UP6081

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.07.22 16:11:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court